सिंधु जल विवाद: संधि की स्थिति, मध्यस्थता और भारत की आपत्ति

समाचार संदर्भ: 31 अगस्त 2026 के मध्यस्थीय निर्णय | जल कूटनीति • अंतरराष्ट्रीय कानून | GS-II व III

सिंधु जल विवाद में तकनीकी परियोजना-प्रश्न और निर्णय देने वाले मंच का अधिकार-क्षेत्र अलग मुद्दे हैं। किसी निर्णय का आशय समझने के लिए दोनों को अलग रखना जरूरी है।

खबरों में क्यों

31 अगस्त 2026 को सिंधु पश्चिमी नदियों से संबंधित मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने संधि की स्थिति पर एक निर्णय और रतले जलविद्युत परियोजना पर अंतरिम उपायों का आदेश दिया। न्यायाधिकरण ने माना कि संधि पूरी तरह लागू है। उसी दिन की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मंच के गठन और अधिकार-क्षेत्र पर आपत्ति दोहराते हुए उसके निर्णय को अस्वीकार किया। यह विवादित कानूनी स्थितियों का वर्णन है, किसी एक पक्ष की अंतिम राजनीतिक जीत का निष्कर्ष नहीं।

PCA और निर्णय देने वाला मंच

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) इन कार्यवाहियों में सचिवालय की भूमिका निभाता है। निर्णय संधि के तहत गठित Court of Arbitration ने दिया है। इसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ), भारतीय न्यायालय या विश्व बैंक का अपना फैसला कहना गलत होगा। भारत इस मध्यस्थता मंच के गठन को ही चुनौती देता है।

मुख्य तथ्य

संधि की स्थिति पर निर्णय: न्यायाधिकरण के सार्वजनिक विवरण के अनुसार उसने भारत के संधि को abeyance में रखने के निर्णय का परीक्षण किया और संधि को लागू माना। यह न्यायाधिकरण का कानूनी निष्कर्ष है; भारत ने उसका अधिकार-क्षेत्र स्वीकार नहीं किया है।

रतले पर सीमित अंतरिम उपाय: आदेश में बाँध की दीवार और पावर-इनटेक संरचना में निश्चित स्तरों से ऊपर कंक्रीट निर्माण पर सीमित रोक तथा निर्माण-कार्यक्रम की रिपोर्टिंग शामिल है। यह पूरे परियोजना क्षेत्र में हर काम रोकने या परियोजना को अंतिम रूप से अवैध ठहराने के समान नहीं है।

तटस्थ विशेषज्ञ की अलग प्रक्रिया: रतले और किशनगंगा परियोजनाओं के तकनीकी प्रश्न तटस्थ विशेषज्ञ के समक्ष भी हैं। सार्वजनिक विवरण में अंतरिम निर्माण-सीमा को उसके अंतिम निर्णय के बाद 90 दिन तक जोड़ा गया है। अपेक्षित निर्णय-समय कोई गारंटीकृत अंतिम तारीख नहीं है।

भारत के लिए व्यापक प्रश्न

अधिकार-क्षेत्र बनाम विषयवस्तु: कोई मंच किसी तकनीकी या कानूनी प्रश्न पर क्या कहता है और क्या उसे वह प्रश्न तय करने का अधिकार है, अलग प्रश्न हैं। भारत की आपत्ति को केवल परियोजना-डिजाइन से असहमति में बदल देना अधूरा होगा।

जलविद्युत और स्थिरता: बुनियादी ढाँचे का निर्माण लंबी समयसीमा और भारी निवेश माँगता है। अनिश्चित कानूनी प्रक्रिया से योजना, लागत तथा सीमा-पार विश्वास प्रभावित हो सकते हैं। वैज्ञानिक जानकारी और स्पष्ट रिकॉर्ड दोनों महत्वपूर्ण हैं।

सुरक्षा और संधि संबंध: भारत ने सीमा-पार आतंकवाद के संदर्भ में संधि को abeyance में रखने की स्थिति अपनाई। न्यायाधिकरण ने संधि के विधिक ढाँचे से उसका परीक्षण किया। सुरक्षा संबंधी दावे और संधि संबंधी निर्णय को उनकी सही स्रोत-स्थिति के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।

विश्लेषण और आगे की राह

भारत को अपने अधिकार-क्षेत्र संबंधी तर्क, परियोजनाओं के तकनीकी दस्तावेज और सुरक्षा संबंधी स्थिति में स्पष्टता बनाए रखनी चाहिए। जलविज्ञान, बाँध डिजाइन और साझा नदी-व्यवस्था के जोखिमों पर विश्वसनीय जानकारी जरूरी है। साथ ही सीमा-पार नदी को केवल राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में देखने से दीर्घकालीन जल और ऊर्जा हितों का मूल्यांकन कमजोर हो सकता है। उचित नीति में सुरक्षा, विकास और नियम-आधारित संवाद की कठिनाइयाँ साथ समझनी होंगी। निर्णय आने को वास्तविक अनुपालन, सहमति या विवाद का पूर्ण समाधान नहीं माना जा सकता।

अवधारणा में अंतर

संधि की स्थिति पर निर्णय, तकनीकी डिजाइन का मूल्यांकन और निर्माण पर अंतरिम संरक्षण तीन अलग चीजें हैं। abeyance, संधि का संशोधन और अंतिम समाप्ति भी अपने-आप एक अर्थ नहीं रखते।

मेंस दृष्टि

GS-II में भारत–पाकिस्तान संबंध और अंतरराष्ट्रीय विवाद-निपटारा; GS-III में जल और ऊर्जा सुरक्षा। उत्तर में मंच का सही नाम, अधिकार-क्षेत्र का विवाद और सीमित अंतरिम उपाय स्पष्ट करें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

सीमा-पार नदी विवादों में तकनीकी समाधान और विवाद-निपटारे के मंच की वैधता दोनों महत्वपूर्ण हैं। सिंधु जल विवाद के संदर्भ में भारत की जल कूटनीति की चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: सिंधु जल विवाद में परियोजना का तकनीकी मूल्यांकन और निर्णय देने वाले मंच का अधिकार-क्षेत्र अलग प्रश्न हैं। भारत की जल कूटनीति को जल, ऊर्जा और सुरक्षा हितों के साथ इस विधिक विवाद से जूझना पड़ता है।

मुख्य भाग में: Court of Arbitration ने संधि को लागू माना, जबकि भारत उसके गठन और अधिकार-क्षेत्र पर आपत्ति करता है; PCA सचिवालय है। रतले पर सीमित अंतरिम निर्माण-प्रतिबंध को पूरी परियोजना पर रोक या अंतिम अवैधता न कहें। तटस्थ विशेषज्ञ की तकनीकी प्रक्रिया अलग है। लंबी अनिश्चितता निवेश और जलविद्युत योजना को प्रभावित कर सकती है। विश्वसनीय जलविज्ञान, डिजाइन-रिकॉर्ड और सुरक्षा संबंधी तर्कों की स्पष्ट प्रस्तुति जरूरी है।

निष्कर्ष में: भारत अपनी अधिकार-क्षेत्र संबंधी स्थिति स्पष्ट रखते हुए साक्ष्य-आधारित नीति और नियम-आधारित संवाद अपनाए। निर्णय, पक्षों की सहमति, वास्तविक अनुपालन और विवाद का पूर्ण समाधान एक ही उपलब्धि नहीं हैं।

स्रोत

- PCA का मूल मामला-पृष्ठ: न्यायाधिकरण और सचिवालय की भूमिका

- PCA प्रेस-विज्ञप्ति की प्रति: संधि की स्थिति और रतले अंतरिम उपाय, 31 अगस्त 2026
- स्वतंत्र रिपोर्ट: निर्णय और भारत की अस्वीकृति, 31 अगस्त 2026

याद रखें: निर्णय का दायरा, मंच की भूमिका और भारत की अधिकार-क्षेत्र संबंधी आपत्ति को अलग रखकर ही विवाद समझें।